

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उ०प्र०।

2. निदेशक,
उच्च शिक्षा उ०प्र०,
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3लखनऊ : दिनांक 01 दिसम्बर, 2022

विषय:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा दिनांक 02.10.2021 के क्रियान्वयन विषयक अद्यतन आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध।

महोदय,

उप सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 के पत्र संख्या-2190/15-5-2022, दिनांक 31.10.2022 (प्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद लखनऊ में दिनांक 02.10.2021 को की गयी घोषणा के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।


2- मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा निम्नवत् है:-

“शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा से नीचे जीवनयापन करने वाले किसी परिवार की एक से अधिक बच्चियाँ किसी महाविद्यालय अथवा संस्था में अध्ययन कर रही है तो दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस या तो संस्था को प्रोत्साहित करते हुए माफ करायी जायेगी या उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।”

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 31.10.2022 में वांछित सूचना/आख्या तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,


(सर्वेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।




माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर
(पुँवारका, सहारनपुर, उ०प्र०, पिन-247120)

Website- msuniversity.ac.inEmail ID - registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 2067/07/प्रशा०/MSU/2022-23

दिनांक: 02.12.2022

- प्रतिलिपि समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, सम्बद्ध महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित की यथा वांछित सूचना/आख्या तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- प्रतिलिपि कुलपति कार्यालय को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।


2.12.22
(वीरेन्द्र कुमार मौर्य)
कुलसचिव

प्रमुख कार्यालय में
प्राप्त दिनांक 31.10.22

उत्तर प्रदेश शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7
संख्या-2190/15-7-2022
लखनऊ: दिनांक 31 अक्टूबर, 2022
कार्यालय-ज्ञाप

(M.K.)
EM का नाम
D. S. (M.K.)

- 1- अपर मुख्य सचिव,
आयुष विभाग,
उ०प्र० शासन।
- 3- प्रमुख सचिव,
बेसिक शिक्षा विभाग,
उ०प्र० शासन।
- 5- प्रमुख सचिव,
प्राविधिक शिक्षा विभाग,
उ०प्र० शासन।

- 2- प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उ०प्र० शासन।
- 4- प्रमुख सचिव,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उ०प्र० शासन।

31-10-22
(डा० सुधीर एम० बोर्डे)
प्रमुख सचिव
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 02.10.2021 को की गयी घोषणा के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने विषयक माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 के पत्र दिनांक 26.10.2021 तथा पत्र दिनांक 04.08.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। वांछित आख्या अद्यतन अप्राप्त है।

2- मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 02.10.2021 को जनपद लखनऊ में निम्नवत घोषणा की गयी है:-

“यदि शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसी परिवार की एक से अधिक बच्चियाँ किसी विद्यालय, महाविद्यालय अथवा संस्था में अध्ययन कर रही हैं तो दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस या तो संस्था को प्रोत्साहित करते हुये माफ कराई जाएगी या उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।”

3- अतः कृपया मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा दिनांक 02.10.2021 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से माध्यमिक शिक्षा विभाग को शीघ्रातिशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे वस्तुस्थिति से मा० मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जा सके।

30(S/USHE(M)/22

25/28

02-11-22 28 फावना

01-11-22 01-11-2022

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उ० प्र० शासन

(कृपा शंकर यादव)
उप सचिव।